समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश जनपद ज्योतिबाफूले नगर

जनपदीय कार्यालय का पताः–	जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय , कक्ष सं0 001 व 002 एंव 005 विकास भवन , जोया रोड, अमरोहा ।

कार्यालय में कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी :–

कार्यरत अधिकारी	श्री एस0 एन0 रावत जिला समाज कल्याण अधिकारी दूरभाष सं0 05922–252477

सहायक विकास अधिकारी (स0क0)

क्रमांक	नाम	तैनाती का विकास खण्ड
1	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा	अमरोहा
2	श्री रधुवीर सिंह	जोया
3	श्री जे0 डी0 सारस्वत	गजरौला

ग्राम विकास अधिकारी (स0क0)

1	श्री जगत सिंह	धनौरा
2	श्री अजय कुमार गर्ग	हसनपुर
3	श्री ललित कुमार	गगेश्वरी

समाज कल्याण सुपरवाइजर

1,	श्री लाल सिंह	तहसील अमरोहा
2	श्री साजिद अन्सारी	तहसील धनौरा
3	श्री तीरथ सिंह	तहसील हसनपुर
4,	श्री मनोज कुमार भटनागर	मुख्यालय जे0 पी0 नगर

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश जनपद ज्योतिबाफूले नगर द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण ।

समाज के अत्यन्त निर्धन निराश्रित , विशेष रूप से अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियो के शैक्षिक/ आर्थिक उन्नयन एवं स्वावलम्बन के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेको योजनाऐं संचालित की जा रही है।

समाज कल्याण द्वारा संचालित प्रमुख योजनाऐं निम्न प्रकार है :–

1, वृद्वावस्था /किसान पेंशन योजना :–

समाज के ऐसे निराश्रित वृद्व व्यक्तियों जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है तथा जिनके पास अपन जीवन यापन का कोई साधन नही है के लिए विभाग की वृद्वावस्था किसान पेंशन योजना चलायी जा रही है। शासनादेश सं0 1474/26–02–08 दिनांक 11–07–08 द्वारा अब केवल उन्ही वृद्व व्यक्तियों को पेशन योजनार्न्तगत लाभान्वित किया जायेगा जो आर्थिक रूप से विपन्न है तथा ग्रामीण क्षेत्रों जिनके नाम वर्ष 2002 की बी0 पी0 एल0 जनगणना सूची में सम्मिलित है तथा इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रो में भी लाभार्थियों को चयनित करने के लिए नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निदिष्ट बी. पी0 एल. का मानक अपनाया जायेगा।

2– इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना :–

परिचयः–

राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम के अर्न्तगत संचालित राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना का नाम इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेशन योजना कर दिया गया है यह योजना दिनांक 19–11–07 से भारत सरकार द्वारा लागू की गयी है। इस योजना अर्न्तगत ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन दी जायेगी। जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है और उनके नाम ग्रामीण क्षेत्रो में बी0 पी0 एल0 2002 की सूची में सम्मिलित है तथा नगरीय क्षेत्रो में भी लाभार्थियों के चयन में नगरीय विकास एवं गरीबी निवारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निदिष्ट बी0 पी0 एल0 की मानक अनुसार पात्रता में आने वाले व्यक्ति लाभान्वित किये जायेगे।

पेंशन की दर एवं भुगतान की प्रकिया –

पेंशन 300 रू0 प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाती है तथा इसका भुगतान 06–06 माह की दो समान किश्तो में लाभार्थियों के बैक खाते अन्तरण कर किया जाता है। प्रथम किश्त माह अप्रैल से सितम्बर तथा द्वितीय किश्त माह अक्टूबर से मार्च तक की प्रदान की जाती है। जनपद में वर्ष 2007–08 तक 18425 लाभार्थियो को पेंशन दी गयी है तथा 2008–09 में माह नवम्बर 08 तक 22363 लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है।

स्वीकृति की प्रकिया –

इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान /ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव कर लाभार्थियो का चयन किया जायेगा। तथा शहरी क्षेत्र में तहसील स्तर पर पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार उपजिलाधिकारी में निहित किया गया है।

आवेदन कैसे करे

पात्रता की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर ग्रामीण क्षेत्रो मे ग्राम के ग्राम पंचायत अधिकारी को प्रस्तुत करेगे तथा नगरीय क्षेत्र के निवासित व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित

प्रारूप पर पूर्ण कर अपना आय प्रमाण पत्र , आयु के प्रमाण पत्र के साथ सम्बन्धित तहसील कार्यालय में जमा करेगे।

2— राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना—

परिचयः—

समाज कल्याण विभाग द्वारा सॅचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना का शुभारम्भ वर्ष 1995 में हुआ। इस योजना में परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जानें पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनें वाले परिवार को रू0 20.000/— की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है इस वर्ष 2008—09 में अब तक कुल 643 परिवारों को कु0 रू0 126.70 लाख की सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

योजना की पात्रता :—

रा0 पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता निम्न प्रकार है :—

अ— योजना में लाभान्वित होने वाले परिवार का गरीबी रेखा से नीचे अर्थात वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/—प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्र में रू0 25546/— वार्षिक तक होना चाहिये ।

ब— मृतक की आयू 18 से 64 वर्ष के मध्य हो तथा वह परिवार का कमाऊ सदस्य होना चाहिये

स— मुखिया की मृत्यु के पश्चात प्रभावित परिवार द्वारा आवेदन किया जाना चाहिये यदि मृतक की पत्नी जीवित नही है तो उसके आश्रित द्वारा आवेदन किया जा सकता है परन्तु वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो ।

3—आवेदन कैसे करे :—

परिवार के मुखिया की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर मृतक के आश्रित द्वारा आवेदन पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ जनपदीय जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन में प्रस्तुत करना होगा। मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो को स्वीकार नही किया जायेगा।

4—स्वीकृति का कार्य :—

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को जांच हेतु उपलब्ध करा दिया जाता है तथा उक्त तहसील से 15 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर पात्रता व अपात्रता के साथ उपजिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र वापस जिला मुख्यालय को उपलब्ध करा देते हैं । सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से संस्तुति के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को वापस प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र पाये गये आवेदनों को जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति उपरान्त रू0 20,000/की धनराशि का एक मुश्त भुगतान लाभार्थी को कोषागार चैक के माध्यम से किया जाता है ।

5—भुगतान व दरः—

भारत सरकार द्वारा 13 जून 2006 को या उसके बाद होने वाली मृत्यु पर अनुदान की दर 10000/से बढाकर रू0 20000/:कर दी गयी है, वर्तमान में रू0 13.06.06 को अथवा उसके पश्चात होने वाली मृत्यु पर मृत्योपरान्त उनके आश्रित को 20,000/—मात्र का भुगतान एक बार किया जाता है।

3— अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी पुत्री के विवाह एवं गम्भीर बीमारी से पीडित व्यक्तियों को अनुदान योजना :—

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को गम्भीर बीमारी के ईलाज व उनकी पुत्री के विवाह हेतु सहायता समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है :—

पात्रता

योजना का लाभ प्राप्त करनें हेतु पात्रता निम्न प्रकार है:—

अ— आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो अर्थात आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 19,884/—तथा शहरी क्षेत्र में रू0 25,546/— से अधिक न हो

ब— आवेदक की पुत्री की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

स— आवेदक द्वारा अपनी पुत्री की शादी की तिथि तय कर ली गयी हो

द— गम्भीर बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान योजना में आवेदक को शासकीय चिकित्सालय का बीमारी प्रमाण पत्र इस आशय का सलॅग्न करना अनिवार्य है, कि सरकारी अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त भी रोग की गम्भीरता के कारण उसे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है।

य— आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो ।

दर एवं स्वीकृति :—

इस योजना में आवेदक के आवेदन करनें पर पुत्री के विवाह हेतु रू0 10,000/— तथा बीमारी के ईलाज हेतु रू0 5,000/— का अनुदान एक मुश्त प्रदान किया जाता है ।

अनुदान की स्वीकृति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त की जाती है। शासनादेश सं0 624 /26—03—2000—4(188)/93 दिनांक 19—02—2000 द्वारा समिति की गठन निम्नप्रकार किया गया है।

1, जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2, मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3, जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
4, जनपद के समस्त मा सासद गण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5, जनपद के समस्त माननीय विधायक गण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त समिति द्वारा स्वीकृत आवेदकों को रू0 10,000=00 का एक मुश्त भुगतान कोषागार चैक के माध्यम से किया जाता रहा है। वर्तमान में शासनादेश सं0 3678 (ए0)/26—03—08—04(188)/93 दिनांक 31—10—08 द्वारा अब यह भुगतान लाभार्थियों के बैक खातों में धनराशि स्थानान्तरित कर किया जायेगा।

आवेदन कैसे करे

आवेदन करनें हेतु आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र निम्नलिखित सलॅग्नकों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी जे0पी0नगर के विकास भवन स्थित कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

1, आय का प्रमाण पत्र
2, जाति का प्रमाण पत्र
3, पुत्री एवं वर का आयु प्रमाण पत्र
4, आवेदक की पुत्री की शादी की निश्चित तिथि का प्रमाण पत्र
5, गम्भीर बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान के लिए डा0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।

4– सामान्य जाति के व्यक्तियों को उनकी पुत्री के विवाह एवं गम्भीर बीमारी से पाडित व्यक्तियों को अनुदान योजना :–

शासनादेश सं0 2896/26–3/06–04(82)/05 दिनांक 11–08–06 द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भाति उन्ही शर्तो एवं दरो पर सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्ति जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है, के पुत्रियों की शादी एवं गम्भीर रोगों के इलाज हेतु अनुदान दिये जाने की योजना वर्ष अगस्त 2006 से लागू की गयी है।

पात्रता

योजना का लाभ प्राप्त करनें हेतु पात्रता निम्न प्रकार हैः–

अ– आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो अर्थात आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 19,884/–तथा शहरी क्षेत्र में रू025,546/– मात्र तक प्रतिवर्ष हो ।

ब– आवेदक की पुत्री की आयू 18 वर्ष से अधिक हो ।

स– पुत्री के विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी हो ।

द– गम्भीर बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान योजना में आवेदक को शासकीय चिकित्सालय का बीमारी प्रमाण पत्र सलॅग्न करना अनिवार्य है ।

दर एवं स्वीकृति :–

इस योजना में आवेदक के आवेदन करनें पर पुत्री के विवाह हेतु रू0 10,000/– तथा बीमारी के ईलाज हेतु रू0 5000/– का अनुदान एक मुश्त प्रदान किया जाता है ।

अनुदान की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदकों को रू0 10,000=00 का एक मुश्त भुगतान कोषागार चैक के माध्यम से किया जाता रहा है। वर्तमान में शासनादेश सं0 3678 (ए0)/26–03–08–04(188)/93 दिनांक 31–10–08 द्वारा अब यह भुगतान लाभार्थियों के बैक खातों में धनराशि स्थानान्तरित कर किया जायेगा।

आवेदन कैसे करें–

आवेदन करनें हेतु आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र निम्नलिखित सलॅग्नकों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी जे0 पी0 नगर के विकास भवन स्थित कार्यालय में जमा करना होता है ।

1, आय का प्रमाण पत्र

2, जाति का प्रमाण पत्र
3, पुत्री एवं वर का आयु प्रमाण पत्र
4, आवेदक की पुत्री की शादी की निश्चित तिथि का प्रमाण पत्र
5, गम्भीर बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान के लिए डा0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जायेगा।

5–अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उत्पीडन के फलस्वरूप आर्थिक सहायता–

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति पर किये गये अत्याचार के फलस्वरूप उत्पीडित परिवारो को अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली–1995 के अधार पर निम्न प्रकार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शासनादेश सं0 4578 /26–3–95–4 (256)/94 दिनांक 17 अक्टूबर 1995 के द्वारा अत्याचार से उत्पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास की सहायता दिये जाने हेतु दरे एवं प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित है।

क्र0 सं0	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम धनराशि
1	अखाधय या धृणाजनक पद्वार्थ पीना या खाना	प्रत्येक पीडित को अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुये 25,000=00 या उससे अधिक और पीडित व्यक्ति द्वारा अनादर , अपमान , छती तथा मान हानि सहने के अनुपात मे होगा।
2 3	क्षति पहुचाना , अपमानित करना या क्षुब्ध करना अनादर सूचक कार्य	दिये जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा (ए)–25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय भेजा जाये (बी) 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालय द्वारा दोषिद कराया जायेग
4	सदोश भूमि अभियोग मे लेना या उस पर कृषि आदि करना	अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुये कम से कम 25000=00 रू. या उससे अधिक भूमि /परिसर /जल की आपूर्ति जहॉ आवश्यक हो सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जायेगी।
5	भूमि /परिसर या जल से सम्बन्धित	जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये पूरा भुगतान किया जाये।
6	बेगार या बलात्क्षम या बंधुवा मजदूरी	प्रत्येक पीडित व्यक्तिय को कम से कम 25000=00 प्रथम सूचना रिर्पोट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष शीध होने पर
7	मददान अधिकार के सम्बन्ध में	प्रत्येक पीडित व्यक्ति को 20,000=00 रू0 तक जो अपराध स्वरूप और गम्भीरता पर निर्भर है।
8 9	मिथ्या ,दोष पूर्ण तथा तग करने वाली विधिक कार्यवाही मिथ्या या तुच जानकारी	25000=00 या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति प्रति पूर्ति या अभियोग के विचारण की समाप्ति के पश्चात जो भी कम हो

10	अपमान अभित्रास	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीडित व्यक्ति को 25000=00 तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप पत्र न्ययालय को भेजा जाय और शेष दोष सिद्व होने पर ।
11 12	किसी महिला की लज्जा भंग करना महिला का लैगिक शेषण	अपराध के प्रत्येक पीडित 50,000=00 रू0 चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाय और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाये।
13	पानी गन्दा करना	1,00,000=00 रू0 तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाये तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत । उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाये भुगतान किया जाये।
14	मार्ग के रूढिजन्य अधिकार से वंचित करना ।	1,00,000=00 रू0 तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पुरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो उसका पूरा प्रतिकार 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय मे दोष सिद्व होने पर
15	किसी को निवास स्थान छोडने पर मजबूर करना	स्थल बहाल करना ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीडित व्यक्ति को 25,000=00 का प्रतिकार तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुननिर्माण यदि नष्ट किया गया हों पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय मे आरोप पत्र भेजा जाये।
16	मिथ्या साक्ष्य देना	कम से कम 1,00,000=00 रू. वा उठाये गये नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकार 1.50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय मे भेजा जाये और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्व होने पर ।
17	भारतीय दंड सहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के करावास से दंडनीय अपराध करना	अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीडित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 50,000=00 रू0 यदि अनुसूचित मे विशिष्ट अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस धनराशि मे अन्तर होगा।
18	किसी लोक सेवक क हाथो उत्पीडन	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकार 50 प्रतिशत का भुगतान जब उपरोपपत्र न्यायालय में भेजा जाये और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोष सिद्व हो जाये किया जायेगा ।
19	नियोग्यता कल्याण मंत्रालय भारत सरकार	अपराध के प्रत्येक पीडित को कम से कम

	की समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचना सं0 4–2–83 एच0 डब्लू 3 तारीख 6–8–1986 में शरीरिक और मानसिक नियोग्ताओं का उल्लेख किया गया है। अधिसूचना की एक प्रति अनुबन्ध 2 पर है। (क) 100 प्रतिशत असमर्थतता (1) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	1,00,000=00 रू0 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोट पर और 25 प्रतिशत आरोपपत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्व होने पर
	(2) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीडित को कम से कम 2,00,000=00 रू.0 50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिर्पोट /चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाये और 25 प्रतिशत जब आरोपपत्र न्यायालय को भेजा जाये तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय मे दोष सिद्व होने पर
	(ख) जहा असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है	उपर्युक्त क (1) और (2) मे निर्धारित दरो को उसी अनुपात मे कम किया जायेगा भुगतान भुगता के चरण भी वही रहेगे तथापि न कमाने वाले सदस्य को 15,000=00 रू0 कम नही और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 30,000=00 रू0 से कम नही होगा ।
20	हत्या /मृत्यु (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले मे कम से कम 1,00,000=00 रू0 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्व होने पर ।
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले मे कम से कम 2,00,000=00 रू0 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के प्श्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय मे दोष सिद्व होने पर ।
21	हत्या , मृत्यु , नरसंहार, बलातसंग, सामूहिक बलातसंग, गंग द्वारा किया गया। बलातसंग, स्थायी असमर्थता और डकैती	उपयुक्त मदो के अर्न्तगत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से जीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की कायें।
		1, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और /या अन्य आश्रितो को 1,000 रू0 प्रति मास की दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि , एक मकान आदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा
		2, पीडितो के बच्चो की शिक्षा और उनके भरण पोषण का पूरा खर्च /बच्चो को आश्रम , स्कूलो/ आवासीय स्कूलो में दाखिल किया जाये।

		3, तीन माह की अवधि तक वर्तनो चावल , गैहू , दालो , दलहनो , आदि की व्यवस्था ।
22	पूर्णतया नष्ट करना /जल हुआ मकान	जहाँ मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो। वहाँ सरकारी खर्च पर ईट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाये या उसकी व्यवस्था की जाये।

अनुदान की स्वीकृति

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्पीडन होने पर पुलिस प्राथमिकी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अत्याचार उत्पीडन अनुदान हेतु सम्बन्धित व्यक्ति का प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त कराया जाता है प्रस्ताव प्राप्त होनें पर रू0 6,250 से लेकर रू0 2.00 लाख तक की सहायता अपराध के अनुसार स्वीकृत होती है जिसमें से 25 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत तक की धनराशि का भुगतान तत्काल एवं शेष 25 प्रतिशत का भुगतान निचली अदालत के फैसले के पश्चात स्वीकृत/वितरित होता है ।

6–अनुसूचित जाति छात्र– छात्राओं को कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक छात्रवृत्ति की योजना :–

अ, अनुसुचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नही है। कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति की प्रति माह की दर निम्न प्रकार है।

कक्षा	छात्रवृत्ति की दर	आय सीमा
1 से 5 तक	25 रू0	कोई प्रतिबन्ध नही
6 से 8 तक	40 रू0	उक्त
9 से 10 तक	60 रू0	रू0 30,000=00 से कम हो

आवेदन एवं स्वीकृति – छात्रवृत्ति के लिए छात्र को पूर्वदशम छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र पूर्ण कर अपने विद्यालये में देना होगा। तत्पश्चात सम्बन्धित विद्यालयें छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र सूची सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगे। तत्पश्चात कार्यालय मे प्राप्त छात्र सं0 के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति /जनजाति के कक्षा 1 से 8 तक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की छात्रवृत्ति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम निधि–3 खाते में तथा नगरीय क्षेत्र में विद्यालय के संयुक्त छात्रवृत्ति खातो में अन्तरित की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र के एवं इन्टरमीडियट तक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पात्र छात्रों को एक मुश्त नकद वितरण की जायेगी। छात्रवृत्ति वितरण उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं लाभान्वित छात्रो की सं0 जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्योतिबा फूले नगर को उपलब्ध करायेगे। नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति सम्बन्धित विद्यालयें के छात्रवृत्ति संयुक्त खाते में स्थानान्तरित की जाती है। जिसका वितरण विद्यालये द्वारा छात्रों को एक मुश्त नकद रूप में किया जाता है। छात्रवृत्ति वितरण उपरान्त उपभोग प्रमाण पत्र आदि जिला समाज कल्याण अधिकारी जे0 पी0 नगर को भेजेगे।

ब, कक्षा 9 एवं 10 में उन्ही अनुसूचित जाति छात्रों को छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 30,000=00 से कम होगी। छात्रवृत्ति की दर 60 रू0 प्रतिमाह अर्थात वर्ष में 720 रू0 देय होगी । छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों के बैक में खुले खाते में सीधे अन्तरण द्वारा किया जाता है। छात्र–छात्रा द्वारा आवेदित पूर्वदशम छात्रवृत्ति आवेदन पत्र विद्यालय के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक जे0 पी0 नगर के कार्यालय को भेजा जायेगा।

स, दशमोत्तर कक्षाओं में अर्थात कक्षा 11 एवं 11 से ऊपर की समस्त कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के उन्ही छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी जिनके अभिभावक की वार्षिक आय समस्त श्रोतो से एक लाख रू0 से कम होगी। इस छात्रवृत्ति की दरे निम्नवत है।

पाठय कम	छात्रवृत्ति की दर प्रति माह	
	दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
समूह –1 औषधि (एलोपैथ्यिक , भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियों) इन्जीनियिरिग , प्राद्योगिकी , कृषि , पशु चिकित्सा, एवं सम्बद्व विज्ञान , प्रबन्धन ,बिजनेस , वित्त ,प्रसासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग , वाणिज्यिक पाइलेट लाईसेस (हेलीकाप्टर पायलेट तथा मल्टी इन्जन रेटिंग) पाटयक्रम में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाटयक्रम (एम0 फिल0, पी0 एच0 डी0 तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसांधन सहित)	330	740
समूह – 2 समूह 1 में शामिल न किये गये अन्य व्यवसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम0 फिल0, पी0 एच0 डी0 तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसांधन सहित) स्तरीय पाठयक्रम । सी0 ए0 , आई0 सी0 डब्लू ए0 /सी0 एस0 आदि पाठयक्रम। सभी स्नातकोत्तर स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठयक्रम , सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठयक्रम ।	330	510
समूह– 3 स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठयक्रम जो (समूह 1 तथा 2 मे शामिल नही किये गये हो)	185	355
समूह – 4 समूह 2 व 3 में शामिल न किये गये 10+2 पद्धति में कक्षा 11 एवं 12 और इन्टरमीडियट परीक्षा आदि जैसे स्नातक करने से पूर्व सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठयक्रम । आई0 टी0 आई0 पाठयक्रम (यदि पाठयक्रम में पढने के लिये न्यूनतम अपेक्षित अर्हता कम से कम मैब्ट्रिकुलेशन हो ।	140	235

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं को प्रवेश के समय से ही शुल्क मुक्त रखने का प्राविधान है। इस सुविधा के लिए छात्र छात्राओं को प्रवेश के समय ही अपने विद्यालय मे जाति एवं अपने अभिभावक का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात विद्यालयों को शुल्क की क्षति पूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा किये जाने का प्राविधान है।

6–सामान्य जाति के छात्र– छात्राओं को छात्रवृत्ति :–

अ, सामान्य वर्ग में कक्षा 1 से 10 तक के उन्ही छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी जिसके अभिभावक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 19,884=00 तथा नगरीय क्षेत्र में 25,546=00 (गरीबी की रेखा से नीचे की आय सीमा) से कम होगी। शेष दरे एवं छात्रवृत्ति की वितरण की प्रक्रिया के अनुसूचित जाति के अनुरूप ही रहेगी।

ब, दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के उन्ही छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी जिनके अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रू0 से कम होगी। छात्रवृत्ति के साथ सम्बन्धित छात्र को शासकीय /अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अनुरूप शुल्क की सुविधा अनुमन्य है। शेष दरे एवं छात्रवृत्ति की प्रक्रिया अनुसूचित जाति के अनुरूप ही है।

विशेष

अ, वर्ष 2007–08 से समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के वितरण में पारिदर्शिता लाने के उद्वेश्य आन लाइन कर दी गयी है। छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में समस्त प्रकार की जानकारी हेतु वेब साईट http\scholarship.up.nic.in पर लाग आन किया जा सकता है।

ब, समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों की जानकारी हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, लाभान्वित छात्रों की सूची विद्यालयों के कार्यालय कक्ष के बाहर मोटे–मोटे शब्दो में चस्पा कर दी जाये तथा पटिटका भी लगवा दी जाये, ताकि छात्रो को छात्रवृत्ति एवं शुल्क की पूर्ण जानकारी हो सके ।

छात्रावास

अनुसूचित जाति के छात्रो हेतु जनपद जे0 पी0 नगर में क्रमशः 1, डा0 अम्बेडकर राजकीय छात्रावास अमरोहा एवं श्री गांधी छात्रावास अमरोहा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है जिसमें 50 –50 छात्रों की आवास क्षमता है। इन छात्रावासों में विद्यालयों में संस्थागत अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र निःशुल्क आवास की सुविधा अनुमन्य है।

कक्षा	ग्रुप	आय सीमा	छात्रवृत्ति की दर प्रति माह	वितरण का प्रकार	वितरण
1 से 5 तक	–	ग्रामीण क्षेत्र में 19,884/–तथा नगरीय क्षेत्र में 25546/– वार्षिक	25 रू0	नगद	ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पॅचायत द्वारा तथा नगरीय क्षेत्र में विद्यालय द्वारा
6 से 8 तक	–		40 रू0	नगद	
9 से 10 तक	–		60 रू0	बैक खाते में	
11 से 12 तक	4	अधिकतम एक लाख वार्षिक तक	140 रू0	बैक खाते मे	
स्नातक	3	अधिकतम एक लाख वार्षिक तक	185 रू0	बैक खाते मे	
स्नातकोत्तर	2	अधिकतम एक लाख वार्षिक तक	330 रू0	बैक खाते मे	बैक द्वारा
इन्जीनियरिंग व पी0एच0डी0	1	अधिकतम एक लाख वार्षिक तक	330 रू0	बैक खाते मे	

सामान्य वर्ग हेतु
पुत्री विवाह हेतु अनुदान

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश

जनपद ज्योतिबा फूले नगर ।

(शासनादेश सं0 2896/26–3–2006–4(82)/05 दिनांक लखनऊ 11–08–06 द्वारा प्रारम्भ नवीन योजना)

आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य , वर्गो (सामान्य वर्ग) के गरीबी की रेखा से नीचे परिवारों के असहाय व्यक्ति की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित आवेदन पत्र

1, आवेदक का नाम ....
2, पिता/पति का नाम..
3, स्थाई निवास ग्प्रम/मौ0..............................पत्रालय..
ग्राम पंचायत................................तहसील...
विकास खण्ड............................जनपद...
4, आवेदक की आयु...
5, जाति................................उपजाति...
6, आवेदक की वार्षिक आय
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करे)..
(प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना न हो)

आवेदक का प्रमाणित फोटो

7, विवाह हेतु पुत्री का नाम ....आयु.........................
(आयु प्रमाण पत्र प्रमाणित करा कर संलग्न करे).......................................
8, वर का नाम......................................वर के पिता का नाम............................
9, वर की आयु.......................................पूर्ण पता..
10, शादी की निश्चित तिथि...
(प्रमाण की मूल प्रति संलग्न करे)

आवेदक की पुत्री (विवाह योग्य) का फोटो

<u>घोषणा पत्र</u>

आवेदक अनुसूचित जाति /अन्य पिछडे वर्ग अथवा किसी आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित नही है तथा उक्त प्रयोजन हेतु वर्गो के अधीन योजना से लाभदार का हकदार नही है।

मै शपथ पूर्वक धोषित करना हू कि मैने इस योजना के पहले कभी कोई अनुदान नही लिया है। मैने वर्ष..........................में अपनी पुत्री(नाम.................................) के विवाह के लिए अनुदान प्राप्त किया है।

संलग्न – उपरोक्त विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

N.F.B.S.
J.P.N

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश

जनपद ज्योतिबा फूले नगर ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन पत्र
(मृतक आश्रित)

आवेदक का प्रमाणित फोटो

1, आवेदक/आवेदिका का नाम ....आयु......................
2, पिता/पति का नाम..
3, जाति.................................उपजाति..
4, स्थाई निवास ग्रम/मौ0...............................ग्राम पंचायत...............................
डाकखाना..........................विकास खण्ड ....तहसील......................
जनपद जे0 पी0 नगर ।
5, आवेदक की मासिक आय........................वार्षिक आय........................(प्रमाण पत्र संलग्न कर)
6, मृतक का नाम............................मृतक के पिता/पति का नाम.................................
7, मृत्यु की तिथि........................मृत्यु के समय मृतक की आयु......................मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करे
8, मृतक का आवेदक से सम्बन्ध..
9, क्या (मृतक) परिवार की आमदनी का मुख्य साधक था या नही...
10, मृतक के उत्तराधिकारी का नाम.................................सम्बन्ध................आयु......................................
(प्रमाण की मूल प्रति संलग्न करे)

घोषणा पत्र

1, मैं प्रमाणित करता/करती हूॅ कि यह आवेदन प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है।
2, मेरी वार्षिक आय गरीबी की रेखा से नीचे है।
3, आवेदन पत्र में मेरे द्वारा पूर्ण किये गये तथ्य प्रमाण पूर्णतया सत्य है।
4, यदि उपरोक्त तथ्यों को गलत पाया जाता है तो दिये गये अनुदान धनराशि की वसूली मुझसे एक मुश्त कर ली जाये।
5, मै प्रमाणित करता /करती हूॅ कि मृतक हमारे परिवार की आमदनी का मुख्य साधक थे।
6, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र एवं नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद द्वारा प्रदत्त मृत्यु के प्रमाण पत्र. की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर संलग्न कर दी है तथा मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रख ली है। आय प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नही है।

आवेदन प्राप्त कमांक...................एन0एफ0बी0एस0 दिनांक.................... उपजिलाधिकारी अमरोहा /हसनपुर /धनौरा को इस अनुरोध के साथ कि इस आवेदन पत्र की जांच कराकर स्पष्ट आख्या एव संस्तुति इस कार्यालय को एक पक्ष मे भिजवाने का कष्ट करे।

आवेदक का हस्ताक्षर
या अगूठा

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश

जनपद ज्योतिबा फूले नगर ।

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों को अपनी पुत्री के विवाह एवं बीमार व्यक्तियों के उपचार हेतु अनुदान का आवेदन पत्र

(नियमावली 1982 के अधीन) नियम 5 देखें

आवेदक का प्रमाणित फोटो

1, आवेदक का नाम ....
2, पिता / पति का नाम...
3, स्थाई निवास ग्प्रम / मौ0...
डाकखाना....................................तहसील...
विकास खण्ड.......................ग्राम पंचायत.....................जनपद.........................
4, जाति................................उपजाति..
5, आवेदक की मासिक आयु.............................वार्षिक आय..............................
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न करे आय प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना न हो
6, आवेदक का बैक खाता सं0..बैक का नाम..
7, विवाह हेतु पुत्री का नाम ....आयु.........................
(आयु प्रमाण पत्र प्रमाणित करा कर संलग्न करे).....................................
8, वर का नाम......................................वर के पिता का नाम...........................
9, वर की आयु.......................................पूर्ण पता...
10, शादी की निश्चित तिथि...
(प्रमाण की मूल प्रति संलग्न करे)
11, क्या इस पुत्री के पहले किसी पुत्री के विवाह हेतु अनुदान लिया है
पुत्री का नाम................................ली गयी धनराशि.....................वर्ष.......................

आवेदक की पुत्री (विवाह योग्य) का फोटो

घोषणा पत्र

1, मैं प्रमाणित करता / करती हूँ, कि इस आवेदन मे पूर्ण की गयी सूचना पूर्णतया सत्या है।
2, यह आवेदन पहली बार पूर्ण कर जमा किया जा रहा है।
3, मैंने इस पुत्री के पहले अपनी दूसरी पुत्री के विवाह हेतु अनुदान लिया है / नही लिया है
4, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति एवं आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्र कर दी गयी है तथा मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रख ली है।
संलग्न – उपरोक्त विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर
/ अगूठा (पूरा नाम भी लिखे)

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश जनपद ज्योतिबा फूले नगर
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के लिये
प्रार्थना पत्र (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु)

बी0 पी0 एल0 सूची का कमांक..........................

1, प्रार्थी /प्रार्थिनी..................................पुत्र/पुत्री/पत्नी..
2, ग्राम /मौहल्ला.................................डाकधर.........................जाति................उपजाति.................
ग्राम पंचायत...न्याया पंचायत...............................ब्लाक........................
तहसील...जिला ज्योतिबा फूले नगर
3, आयु...............................वर्ष...................................
4, प्रार्थी से सम्बन्धित सदस्यो का विवरण निम्नवत है –

(क) पुत्र	वर्ष	(क) पुत्र का नाम	वर्ष
(ख) पति/पत्नी	वर्ष	(ख) पति /पत्नी	वर्ष

5, शिनाखती चिन्ह...
6, बैक का नाम...खाता संख्या...

प्रार्थी द्वारा शपथ

7, मै प्रमाणित करता हॅू /करती हॅू कि–
1, मेरे /मेरे परिवार के मुखिया का नाम बी0 पी0 एल0 सूची के कमांक.................पर दर्ज है
2, मुझे अन्य किसी स्त्रोत से कोई पेंशन प्राप्त नही हो रही है।
3, मेरी उम्र 65 वर्ष से अधिक है।
4, बी0 पी0 एल0 कार्ड की छाया प्रति संलग्न है।

अवेदक के हस्ताक्षर /
अंगूठा निशान

कार्यालय के प्रयोगार्थ

प्रमाणित किया जाता है, कि –
1, आवेदक को पहले से किसी तरह की पेंशन प्राप्त नही हो रही है।
2, प्रार्थी /उसके परिवार के मुखिया का नाम विकास खण्ड की बी0 पी0 एल0 सूची के कमांक.....
.......पर दर्ज है।
3, परिवार रजिस्टर तथा शरीरिक बनावट के आधार पर आवेदक 65 वर्ष से अधिक उम्र का है।
अतः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के अर्न्तगत पेंशन स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं ग्राम पंचायत की मुहर

ग्राम पंचायत विकास अधिकाी के हस्ताक्षर एवं मुहर

समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश जनपद ज्योतिबा फूले नगर
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के लिये
प्रार्थना पत्र (शहरी क्षेत्रों हेतु)

बी0 पी0 एल0 सूची का कमांक............................

1, प्रार्थी /प्रार्थिनी..................................पुत्र/पुत्री/पत्नी..

2, वार्ड सं0.................................ग्राम /मौ0........................मकान सं0............जाति......................

उपजाति....................................... तहसील...जिला ज्योतिबा फूले नगर

3, आयु..............................वर्ष.................................

4, प्रार्थी से सम्बन्धित सदस्यो का विवरण निम्नवत है –

(क) पुत्र	वर्ष	(क) पुत्र का नाम	वर्ष
(ख) पति/पत्नी	वर्ष	(ख) पति /पत्नी	वर्ष

5, शिनाखती चिन्ह...

6, बैक का नाम...खाता संख्या..

प्रार्थी द्वारा शपथ

7, मै प्रमाणित करता हूॅ /करती हूॅ कि–

1, मैं बी0 पी0 एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक हूॅ एवं मै गरीबी रेखा से नीचे निवासरत हूॅ

2, मुझे अन्य किसी स्त्रोत से कोई पेंशन प्राप्त नही हो रही है।

3, मेरी उम्र 65 वर्ष से अधिक है।

4, बी0 पी0 एल0 कार्ड की छाया प्रति संलग्न है।

अवेदक के हस्ताक्षर /
अंगूठा निशान

कार्यालय के प्रयोगार्थ

प्रमाणित किया जाता है, कि –

1, आवेदक गरीबी रेखा से नीचे निवासरत है तथा वह उपरोक्तानुसार बी0 पी0 एल0 /अन्त्योंदय कार्ड धारक है।

2, आवेदक 65 वर्ष से अधिक उम्र का है।

3, आवेदक का अन्य किसी स्त्रोत से किसी तरह की पेंशन प्राप्त नही हो रही है।

अतः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना के अर्न्तगत पेंशन स्वीकृति की संस्तुति की जाती है।

सम्बन्धित लेखपाल का नाम
सहित हस्ताक्षर

अधिशासी अधिकारी /
के हस्ताक्षर एवं मुहर

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ

उपरोक्त आवेदन पत्र. का परीक्षण कर लिया गया है। पेशन स्वीकृति की संस्तुति की जाती है

पटल सहायक
वृद्वावस्था पेंशन योजना

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जे0 पी0 नगर ।

मुख्य विकास अधिकारी /जिलाधिकारी
द्वारा नामित अधिकारी जे0 पी0 नगर